संख्या : 2 /जी0एस0(शिक्षा)/ A3-59(2)/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक । 9 जनवरी, 2023**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 677 दिनांक 21.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शक्तिफार्म, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर को बी0ए0 एवं बी0–एससी0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शक्तिफार्म, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।	**बी0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास,, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत) **बी0–एससी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान,)	180 सीट 60 सीट प्रति ग्रुप	2022–23

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

(ii) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Soiety Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं सोसायटी के पंजीकरण का नवीनीकरण कराते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख 02 माह के भीतर सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(iii) संस्थान में मानकानुसार भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं फर्नीचर पूर्ण कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

क्रमशः/–

(iv) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(v) अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3832 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/ A3-59(2)/2021 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शक्तिफार्म, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
17/11/2023

(जी0डी0 नौटियाल)
कुलाधिपति के अनुसचिव।